| योजनाओं के नाम | महाराष्ट्र | गुजरात |
|---|---|---|
| (ड़) डिजाईन विकास | प्रचालन में | -वहीं- |
| (च)बाजार विकास | -वहीं- | -वहीं- |
| **रेशम उत्पादन**: | | |
| (क) राज्यों को विभिन्न प्रकार के शहतूती बैकों में सुधार | प्रचालन में | प्रचालन में |
| (ख) ऑन-फार्म प्रशिक्षण देने तथा औज़ारों की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को सहायता | -वहीं- | शून्य |
| (ग) विस्तार और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए सहायता | -वहीं- | -वहीं- |
| (घ) राज्यों को मास्टर रीलर सहायता | -वहीं- | -वहीं- |
| **ऊन**: | | |
| (क) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना | शून्य | प्रचालन में |
| (ख) मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना | -वहीं- | -वहीं- |

**Garment Quota Entitlement**

921. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether under pressure from the European Union over the recent controversy on overshooting the 1998 garment quota entitlement, India has agreed to bind import duties on a wide array of textile sector items with the World Trade Organisation; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) No, Sir. In the Indo-EU-MOU on market access for textiles and clothing products signed on 31.12.1994, which provided mutual benefits, Government had agreed, inter-alia, to reduce its import tariffs and bind its tariffs by notifying to the WTO in respect of the textile items listed in the MOU. Different textile products, including fibres, yarn, fabrics, made-ups and garments, and totalling 220 HS lines, are covered under the MOU.

**राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति**

922. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने कोई राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति बनायी हैं;

(ख) यदि हां,तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विगत पांच वर्षो के दौरान उपरोक्त नीति को किन-किन पहलुओं के संबंध में कार्यान्वित किया गया हैं;

(घ) क्या कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा है;और

(ड़) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा)**: (क) से (ड़) परिधानों को,यूरोपीय संघ के सदस्य देशों,यू.एस.ए.और कनाडा जो द्विपक्षीय करारों के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंधों के अंतर्गत हैं,निर्यात के संबंध में